जीलाल मीणा
आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर–302 005

अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/जे.पी.डी./अ.अ विधि/फा 09/प्रे. 1249 दिनांक 05.09.2013

O/O S.E. (...) JVVNL Jaipur

R.R. N. 1344 69 -

परिपत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित वादों, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ ही राज्य सरकार भी एक पक्ष होता है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रभारी अधिकारी व राजकीय अधिवक्ता भी नियुक्त किये जाते हैं। उन मामलों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अधिवक्ता के पास उपस्थित होकर राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कई मामलों में एकपक्षीय निर्णय भी दिया गया है। इस प्रकार के कृत्य को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

राज्य सरकार के विधि और न्याय विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के निम्नांकित कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किये गये हैं :–

1. मामले के तथ्यों की ऐसी जाँच करना जो आवश्यक हो।
2. संबंधित सभी पत्रावलियों, दस्तावेजों, नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों को एकत्रित करना।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं के पैरा क्रमानुसार उत्तर देते हुये जो राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क के लिये सहायक हो।
4. उपयुक्त रिपोर्ट और सामग्री सहित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करना।
5. राजकीय अधिवक्ता से लिखित कथन, उत्तर तैयार करवाना।
6. उसको/उनको स्वयं के तथा राजकीय अधिवक्ता के सम्यक रूप से हस्ताक्षर करवाकर ऊर्जा विभाग द्वारा विधिक्षा किये जाने हेतु इस विभाग को भेजना।
7. मामले की तैयारी करने में और संचालन में राजकीय अधिवक्ता को सहायता करना और मामले में नियत की गई तारीखों उसकी स्थिति और उसकी प्रगति से विभाग को सदैव अवगत करवाना।
8. जब कभी आदेश/निर्णय विशेषकर राजस्थान राज्य के विरूद्ध जारी किया जावे तो विधि विभाग/ऊर्जा विभाग को उसकी सूचना देना और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट/राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति आगे की कार्यवाही के लिये भेजना और,
10. यह सुनिश्चित करना कि प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन करने और उसे प्राप्त करने रिपोर्ट देने उस पर राय प्राप्त करने के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय बरबाद न हो।
11. जैसे ही उसे अपने स्थानान्तरण की सूचना मिले वह यथाशीघ्र अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा उसकी तुरन्त सूचना देगा। वह वर्तमान पद का कार्यभार को संभला देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त न हो जावे।
12. प्रभारी अधिकारी यदि उपर्युक्त कर्तव्यों के निर्वाह में उपेक्षा करेगा या असावधानी बरतता पाया जावेगा तो वह स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये दोषी बनायेगा।

फोन : (0141) 2747064 (का.), 2700571 (नि.)• फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई–मेल : cmd@jvvnl.in, klmias@yahoo.com

अतः समस्त अधिकारियों (जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है) को निर्देश दिये जाते हैं कि जैसे ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस हेतु जारी आदेश की सूचना प्राप्त हो, तो वे तुरन्त ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर उन्हें वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं के पैरा क्रमानुसार उत्तर प्रस्तुत करे तथा साथ ही उनके द्वारा वांछित फाइल/दस्तावेजों एवम् उनकी प्रतिलिपियां भी उपलब्ध करावें तथा उत्तर तैयार करवा कर अपने हस्ताक्षर करके माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करावें तथा ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार, समय–समय पर मामले में हुई प्रगति से अवगत करावे। यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त कर्तव्यों के निर्वाह में उपेक्षा करेगा या असावधानी बरतेगा तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों की तुरन्त पालना सुनिश्चित की जावे।

(कुंजी लाल मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि: निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अ.शा. क्रमांक एफ.8(1)ऊर्जा/2013/दिनांक 02.09.13 की अनुपालना मे तथा संलग्नक A के बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

संलग्नः (प्रपत्र A, B)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् अपने अधीनस्थ प्रभारी अधिकारियों को उक्त आदेशों की अविलम्ब पालनार्थ निर्देश जारी करने हेतु :–

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम,
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर, संलग्नक A के बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत। प्रपत्र B संलग्न है।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता (I.T.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को जयपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर डालने हेतु।
6. मुख्य लेखाधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7. अधिशाषी अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम,
8. कार्मिक अधिकारी ( ) जयपुर डिस्कॉम

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक